



**प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 14.05.2026**

**#OPERATION CONVICTION**

**इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 14.05.2026 को 01 अभियोग में सजा करायी गयी है।**

### **1. थाना फ़े०कालोनी**

**मा० न्याया० एडीजे/टीआरसी (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त गुलशन उर्फ शिशुपाल पुत्र चन्द्रकेश कुशवाहा निवासी नई कालोनी कोकपुरा शाला थाना फ़े०कालोनी जनपद इटावा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 45,000/-रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा० न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना फ़े०कालोनी पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते **मा० न्याया० एडीजे /टीआरसी (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 45,000/-रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

#### **संक्षिप्त विवरण:-**

थाना फ़े०कालोनी क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ जबर्न बलात्कार करने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक **09.07.2022** को **मु०अ०सं० 245/2022 धारा 452/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना फ़े०कालोनी पुलिस टीम, पैरोकार **का० अजीत प्रताप सिंह व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी** द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा० न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 14.05.2026 को अन्तर्गत धारा **452/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में मा० न्याया० एडीजे /टीआरसी (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 45,000/-रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

#### **सजायाफ़्ता अपराधी-**

**1. गुलशन उर्फ शिशुपाल पुत्र चन्द्रकेश कुशवाहा निवासी नई कालोनी कोकपुरा शाला थाना फ़े०कालोनी जनपद इटावा।**